98

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–96–दो/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–53/2002–03/निगरानी.

....

हन्नू पुत्र श्री मुल्लू ढीमर
निवासी–ग्राम मुहारी तहसील खनियाधाना
जिला–शिवपुरी

———————आवेदक

विरूद्ध

रघुवीर पुत्र ग्यासी लोधी
निवासी–ग्राम मुहारी तहसील खनियाधाना
जिला–शिवपुरी

————————अनावेदक

....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २१-६-२०१६ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 53/2002–03/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार वृत–2 मुहारी, खनियाधानां के समक्ष म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित

भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम 1984, जिसे आगे विशेष उपबंध अधिनियम 1984 कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि ग्राम मुहारी की शासकीय भूमि क्र0 67 रकबा 0.76 है0 में से 0.54 है0 पर आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने एवं शेष बचे 0.22 है0 को राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग–3 की कण्डिका 24 के अन्तर्गत छोटा टुकड़ा होने के कारण बंटित किये जाने का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है । नायब तहसीलदार ने दिनांक 05.08.98 को आवेदन–पत्र स्वीकार कर उक्त प्रावधान के अंतर्गत आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये तथा शेष 0.22 है0 भूमिस्वामी स्वत्व पर व्यवस्थापित किये जाने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के यहां निगरानी प्रस्तुत की । प्रकरण क्रमांक 135/1999–2000/निग0 पंजीबद्ध किया गया तथा अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी की सुनवाई के बाद दिनांक 23.05.2002 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर के यहॉ निगरानी पेश की गई, जिसका प्रकरण क्रमांक 53/2002–03/निगरानी है । निगरानी सुनवाई उपरांत अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.10.2005 को आदेश पारित कर निगरानी अमान्य किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि आवेदक के पास विवादित भूमि के अलावा अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिये अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर समतलीकरण कर उपजाऊ बनाया गया, जिसमें काफी श्रमधन खर्च किया जाकर सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया है तथा विवादित भूमि पर आवेदन द्वारा श्रमधन खर्च किया है । यदि उक्त पट्टे को निरस्त किया जाता है तो शासन के राजस्व की हानि होगी और आवेदक भूमिहीन बेघर हो जायेगा तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करना भी संभव नहीं होगा । वर्ष 1980–81 से लगायत 1998–99 तक के प्रमाण स्वरूप अभिलेख पर प्रस्तुत होने के कारण आवेदक के हित में दिनांक 05.08.98 को कब्जे के आधार पर अधिनियम 1984 के एक्ट के आधार पर व्यवस्थापन आदेश पारित किया

गया । उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है । प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर पारित करना चाहिये। तकनीकी आधार पर विचार नहीं करना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की यही अवधारणा रही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को गुण–दोषों पर सुनकर प्रकरण निराकरण करना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का ऐसा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदक पूर्व से अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसील न्यायालय द्वारा एक ही सर्वे नम्बर 67 के रकबा 0.54 को विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये है और इसी भूमि के भाग 0.22 है0 को परिपत्र क्रमांक 3 के अन्तर्गत बंटित किया गया है । दोनों ही प्रावधान अलग–अलग है और दोनों के अन्तर्गत भूमि बंटन/व्यवस्थापन के प्रावधान अलग–अलग है । निश्चित रूप से दोनों ही प्रावधानों के अन्तर्गत अलग–अलग राजस्व प्रकरण दर्ज किये जाना चाहिये और उनके तहत विधिवत प्रक्रिया का पालन करके आदेश पारित किया जाना चाहिये था जो तहसील न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । इस तरह से तहसील न्यायालय का आदेश वैधानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है और इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको निरस्त करने में कोई अनियमितता नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अलग–अलग प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करने व तदानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । जहां तक तहसील न्यायालय के द्वारा पारित किये गये आदेश के गुणावगुणों का प्रश्न है, इस संबंध में अपर कलेक्टर के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अतः इस स्तर पर तहसील न्यायालय के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अलग–अलग प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही का निर्देश दिये गये है, इसलिये तहसील न्यायालय के द्वारा अलग–अलग वैधानिक प्रावधानों

के अन्तर्गत प्रकण के गुणावगुणों पर विधिवत विचार कर आदेश पारित किया जावेगा । उपरोक्त विवेचना के आधार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,